Reader
07/11/24

प्रार्थना–पत्र अ.धा.
152 सी पी सी

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक),
श्रीगंगानगर।

सतविन्द कौर बनाम स्टेट

प्रकरण सं. 58/2020

निर्णय दिनाक 12-6-2024

श्रीमान जी,

डिक्री होल्डर/वादीया निम्नलिखित निवेदन करती हैं–

1– यह कि उक्त अनवानी वाद का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12–6–2024 को किया जा चुका है। इस निर्णय के क्रियान्वित भाग में वादीया का नाम हरजिन्द्र कौर को संशोधित कर सतविन्द्र कौर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। जबकि वादीया का पूर्व का नाम हरविन्द्र कौर है। जमाबन्दी में भी हरविन्द्र कौर दर्ज है। निर्णय के शेष भाग में भी हरविन्द्र कौर दर्ज हैं।

2– यह कि निर्णय व डिक्री में लिपिकीय त्रृटि के कारण ऐसा हुआ है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश करके निवेदन है कि उक्त अनवानी प्रकरण की पत्रावली को आज की पेशी में लेकर निर्णय व डिक्री दिनांक 12–6–2024 में दुरूस्ती की जाकर वादीया का [illegible] हरविन्द्र कौर दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 14:00:38 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक–4–9–2024

प्रार्थीया–
सतविन्द कौर पत्नी गुरभेज सिंह पुत्री कुलवीर सिंह निवासी 5 बी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

22/10/24

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

–संशाधित आदेश–

सतविन्द्र कौर बनाम स्टेट
वाद संख्या 58/2020
निर्णय दिनांक 12.06.2024
अन्र्तगत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि उक्त अनवानी वाद का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2024 को किया जा चुका है। इस निर्णय कि कियान्वित भाग में वादीया का नाम हरजिन्द्र कौर को संशोधित कर सतविन्द्र कौर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। जबकि वादीया का पूर्व का नाम हरविन्द्र कौर दर्ज है। निर्णय में लिपिकीय त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। जिसे तुरन्त दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अनवानी प्रकरण की पत्रावली आज पेशी में लेकर निर्णय दिनांक 12.06.2024 में दुरूस्ती की जाकर वादीया का नाम हरजिन्द्र कौर के स्थान पर हरविन्द्र कौर किया जावे।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में ली जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र व संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादीया का नाम ''हरविन्द्र कौर '' है निर्णय के कियात्मक आदेश में क्लेरिकल/टाईपिंग मिस्टेक से ''हरजिन्द्र कौर '' अंकित हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर यह संशोधित आदेश जारी किया जाता है कि निर्णय के कियात्मक आदेश में अकिंत '' हरजिन्द्र कौर '' को ''हरविन्द्र कौर '' पढा व माना जावे तथा इस संशोधित आदेश को निर्णय दिनांक 12.06.2024 का भाग माना जावे।

संशोधित आदेश मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07 नवम्बर, 2024 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 14:00:38 IST
Reason: SelfAttested